

बीकानेर विश्वविद्यालय, बीकानेर

प्रबन्ध मण्डल की छठी बैठक दिनांक 11-09-2007 का कार्यवाही विवरण

प्रबन्ध मण्डल की छठी बैठक दिनांक 11-09-2007 को प्रातः 11:30 बजे इंजीनियरिंग कॉलेज, बीकानेर के मीटिंग हाल में माननीय कुलपति महोदय डॉ. सी.बी. गेना की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :-

1. डॉ. सी.बी.गेना- कुलपति एवं अध्यक्ष, प्रबन्ध मण्डल, बीकानेर विश्वविद्यालय, बीकानेर।
2. डॉ. ओ.पी. महेन्द्रा- माननीय विधायक केसरीसिंहपुर- सदस्य
3. श्री जीतराम - माननीय विधायक मालपुरा- सदस्य
4. डॉ. विमलप्रसाद अग्रवाल- सदस्य
5. प्रो० बी.पी. सारस्वत- सदस्य
6. श्री के.एल. जैन - सदस्य
7. डॉ. एल.एन. गुप्ता- सदस्य
8. डॉ. विमलेन्दु तायल- सदस्य
9. डॉ. आर.जी. भूतडा- सदस्य
10. डॉ. एस.एन.शर्मा - सदस्य
11. श्री पी.आर. दानोदिया- सदस्य
12. श्री श्याम सुन्दर रांकावत-कुलसचिव एवं सदस्य सचिव
13. वित्त नियंत्रक, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (प्रतिनिधि, प्रमुख शासन सचिव, वित्त)
14. श्री के.एस. बीका- वित्त नियंत्रक।
15. श्री उमेश चतुर्वेदी- परीक्षा नियंत्रक।

बैठक के प्रारम्भ में माननीय कुलपति महोदय द्वारा माननीय सदस्यों का परिचय करवाया गया तथा सदस्य सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बिन्दुवार बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बैठक में हुए विचार-विमर्श एवं लिये गये निर्णयों का बिन्दुवार विवरण निम्नलिखित अनुसार है :-

1. बीवि/बोम-6/2007/48 : पांचवी बैठक की कार्यवाही विवरण का अनुमोदन :- गत बैठक दिनांक 27-09-2007 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से की गई। माननीय सदस्य डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल द्वारा यह सुझाव दिया गया कि नये सदस्यों को एजेण्डा नोट के साथ गत बैठक की कार्यवाही विवरण भी संलग्न कर भेजी जानी चाहिए। इस पर माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया कि आगामी बैठकों में गत बैठक का कार्यवाही विवरण संलग्न कर भेजा जावेगा। इसके साथ ही गत बैठक में माननीय सदस्य डॉ. बी.पी. सारस्वत एवं श्री डी.सी. जैन द्वारा मुद्रा के नामवृत्त में सफेद रंग के स्थान पर केसरिया कलर भरने के सम्बन्ध में जो सुझाव दिया था उसी के अनुसार विश्वविद्यालय की मुद्रा में किये गये बदलाव के अनुसार विश्वविद्यालय मुद्रा का नमूना बैठक में प्रस्तुत किया गया।

2. **बीवि/बोम-6/2007/49 : विद्या परिषद की बैठक दिनांक 14-06-2007 की कार्यवाही विवरण का अनुमोदन :-** बीकानेर विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की बैठक दिनांक 14-06-2007 की कार्यवाही विवरण के सम्बन्ध में सदस्य सचिव द्वारा माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया। विद्या परिषद के विनिर्णय सं. 8 पर एम.फिल. एवं अन्य पाठ्यक्रमों में फीस, पात्रता, पाठ्यक्रम आदि का महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के अनुसार निर्धारण किये जाने के निर्णय के प्रति माननीय सदस्य डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल ने सुझाव दिया कि इन पाठ्यक्रमों की फीस, पात्रता एवं पाठ्यक्रम आदि का निर्धारण स्वयं विश्वविद्यालय द्वारा किया जाना चाहिए न कि केवल दूसरे विश्वविद्यालयों के मॉडल का अनुसरण करना चाहिए। इस सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष महोदय ने अवगत कराया कि महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के System को केवल आधार माना गया है तथा फीस, पात्रता व पाठ्यक्रम का निर्धारण स्वयं विश्वविद्यालय द्वारा ही किया गया है। राज्य सरकार द्वारा बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु दो अध्यापन विषयों के स्थान पर एक अध्यापन विषय की पात्रता निर्धारण करने के सम्बन्ध में माननीय सदस्य डॉ.बी.पी. सारस्वत द्वारा अवगत कराया गया कि केवल प्रवेश हेतु ही एक अध्यापन विषय की पात्रता निर्धारित की गई है। छात्र अध्यापकों को बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण के दौरान दो अध्यापन विषयों का अध्ययन करना अनिवार्य है। छात्र द्वारा शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालय में उपलब्ध विषयों में से दूसरे विषय का चयन किया जायेगा। माननीय सदस्य श्री आर.जी. भूतड़ा ने अनुरोध किया कि एम.फिल. में कितने कालांश होंगे इसका ब्यौरा पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए जिस पर माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि इस शैक्षणिक सत्र के लिए प्रकाशित किये जाने वाले पाठ्यक्रमों में यह सम्मिलित कर लिया जायेगा। चर्चा के पश्चात माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से बैठक की कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

3. **बीवि/बोम-6/2007/50 : स्ववित्त-पोषित योजनान्तर्गत एम.फिल. एवं अन्य पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने का अनुमोदन :-** विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2007-08 से स्ववित्त-पोषित योजनान्तर्गत 12 विषयों (राजनीति विज्ञान, हिन्दी, गणित, संस्कृत, भौतिक विज्ञान, राजस्थानी, अंग्रेजी, शिक्षा, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य) में प्रारम्भ किये गये एम.फिल. पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में बैठक के सदस्यों को अवगत कराया गया। विचार-विमर्श के दौरान माननीय सदस्य डॉ. एल.एन. गुप्ता द्वारा अपेक्षा किये जाने पर एम.फिल. पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन व संचालन के सम्बन्ध में श्री आर.के.शर्मा की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रखी गई, जिसका सदस्यों द्वारा अवलोकन किया गया। माननीय कुलपति महोदय द्वारा एम.फिल. में प्राप्त विषयवार आवेदन पत्रों तथा निर्धारित फीस की जानकारी प्रदान की गई। साथ ही, निर्धारित संख्या से बहुत कम आवेदन पत्र प्राप्त होने के कारण विश्वविद्यालय द्वारा बी.जे.एम.सी. एवं एम.जे.एम.सी. पाठ्यक्रमों को शुरू नहीं करने के निर्णय से अवगत कराया गया। विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2007-08 से स्ववित्त-पोषित योजनान्तर्गत 12 विषयों में प्रारम्भ किये गये एम.फिल. पाठ्यक्रमों का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया तथा साथ ही, विचार-विमर्श पश्चात, नवीन विषय दर्शनशास्त्र में एम.फिल. प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया। श्री के.एल. जैन एवं डॉ.एल.एन. गुप्ता द्वारा यह सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय द्वारा ट्यूरिज्म एवं होटल मैनेजमेन्ट जैसे नये पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने चाहिए, जिससे छात्रों को रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्राप्त हो सके। श्री के.एल. जैन ने सुझाव दिया कि क्षेत्रीय संस्कृति के विस्तार को ध्यान में रखते हुए संगीत में बीकानेर के प्रसिद्ध कथक नृत्य जैसे पाठ्यक्रम भी प्रारम्भ किये जाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय ने आश्वासन दिया कि ऐसे पाठ्यक्रमों के लिए फ़ैकल्टी उपलब्ध होने पर विचार किया जा सकता है।

माननीय कुलपति महोदय ने स्ववित्त-पोषित योजनान्तर्गत शुरू किये गये पाठ्यक्रमों के सुचारु संचालन के लिए मनोनीत मुख्य समन्वयक श्री आर.के. शर्मा, सेवानिवृत्त प्राचार्य को 15,000/- प्रतिमाह एवं आवश्यकतानुसार अन्य सेवानिवृत्त कर्मचारी रखे जाने का प्रस्ताव रखा, जिसका माननीय सदस्यों द्वारा अनुमोदन किया गया। प्रमुख शासन सचिव वित्त के प्रतिनिधि ने सुझाव दिया कि स्ववित्त-पोषित योजनान्तर्गत पाठ्यक्रम हेतु स्टॉफ रखने में रेप्सार एक्ट का उल्लंघन नहीं हो, इस बात का ध्यान रखा जावे जिसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को आश्वासन दिया कि इस बात का ध्यान रखा जायेगा।

4. बीवि/बोम-6/2007/51 : बी.बी.ए. तथा बी.सी.ए. पाठ्यक्रमों में एण्डोमेंट फंड राशि निर्धारित करने हेतु :- बी.बी.ए. पाठ्यक्रम को बी.कॉम. के समान एवं बी.सी.ए. पाठ्यक्रम को बी.एससी. के समान मानते हुए बी.बी.ए. पाठ्यक्रम हेतु 2.00 लाख एवं बी.सी.ए. पाठ्यक्रम हेतु 3.00 लाख रुपये एण्डोमेंट फंड राशि निर्धारित करने के प्रस्ताव का सभी माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
5. बीवि/बोम-6/2007/52 : भुवनेश आचार्य का बी.कॉम. द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष परीक्षा परिणाम 2005 एवं 2007 निरस्त करने के सम्बन्ध में :- विश्वविद्यालय द्वारा बी.जे.एस. आर. जैन महाविद्यालय के छात्र भुवनेश आचार्य के बी.कॉम. द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष के परीक्षा परिणाम को निरस्त करने के निर्णय का प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुमोदन करने के प्रस्ताव पर चर्चा के पश्चात सभी माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया कि यह प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण माननीय न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा की जावे तथा निर्णय के पश्चात विधि अनुसार आगामी कार्यवाही की जाये। इसका सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। विचार-विमर्श के दौरान माननीय सदस्य डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय स्तर पर परीक्षा आवेदन पत्र की जाँच में हुई इस प्रकार की त्रुटि के लिए संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना चाहिए, जिससे भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति को रोका जा सके। इस पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने कार्यवाही किये जाने का आश्वासन दिया।
6. बीवि/बोम-6/2007/53 : नेशनल कन्या महाविद्यालय, घड़साना की सम्बद्धता रद्द करना :- आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर के पत्र क्र. एफ.04स्थायी(65) आकाशि/अनु/04/2462 दिनांक 03 अगस्त, 2007 के द्वारा नेशनल कन्या महाविद्यालय, घड़साना जिला श्रीगंगानगर का अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिये जाने के कारण विश्वविद्यालय के आदेश -पत्र क्रमांक 11165 दिनांक 25-08-2007 द्वारा सम्बद्धता निरस्त किये जाने एवं अध्ययनरत छात्रों के हितार्थ सत्र 2007-08 में केवल बी.ए. पार्ट द्वितीय एवं तृतीय की कक्षाएं संचालित करने की अनुमति प्रदान किये जाने का प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
7. बीवि/बोम-6/2007/54 : विश्वविद्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं इनके आश्रितों को शोध के लिए शुल्क एवं महाविद्यालय द्वारा ली जाने वाली फीस में छूट प्रदान करने बाबत :- इस एजेण्डा नोट की विषय वस्तु पर विचार-विमर्श करने पश्चात सभी सदस्यों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि अन्य विश्वविद्यालयों से इस सम्बन्ध जानकारी प्राप्त कर ली जाये एवं अगली बैठक में पुनः रखा जाये। इसके साथ ही माननीय सदस्य डॉ. ओ.पी. महेन्द्रा एवं डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल ने आश्रित शब्द के व्यापक होने के कारण केवल पति/पत्नी व अविवाहित पुत्र/पुत्री को ही सम्मिलित रखे जाने का सुझाव दिया। इस सुझाव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया।
8. बीवि/बोम-6/2007/55 : महाविद्यालयों की स्थाई सम्बद्धता हेतु निर्धारित अर्हताएं एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के प्रारूप का अनुमोदन :- महाविद्यालय की स्थाई सम्बद्धता हेतु निर्धारित अर्हताएं, निरीक्षण दल हेतु दिशा-निर्देश एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के प्रारूप का माननीय सदस्यों द्वारा अवलोकन कर विचार-विमर्श किया गया। माननीय सदस्य डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल ने प्रारूप में महाविद्यालय के वेबसाइट, फैंक्स नम्बर आदि विवरण को सम्मिलित करने का सुझाव दिया। साथ ही यह सुझाव भी दिया गया कि प्रतिवेदन -प्रारूप के मद संख्या 10 पर अंकित कार्यरत शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टाफ की सूचना (प्राचार्य सहित) के विवरण में ही पुस्तकालयाध्यक्ष एवं खेलकूद अधिकारी को शामिल किया जाना चाहिए न कि उनके नाम व योग्यता के लिए अलग से पैरा लिया जाना चाहिए। तत्पश्चात प्रारूप में उपरोक्तानुसार लघु संशोधनों का समावेश करते हुए प्रारूप का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

9. बीवि/बोम-6/2007/56 : विश्वविद्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को दिये जाने वाले मानदेय/पारिश्रमिक /ओ.टी.ए. का अनुमोदन :-

विश्वविद्यालय में अशैक्षणिक स्टाफ की अत्याधिक कमी एवं परीक्षा, सम्बद्धता एवं लेखा सम्बन्धी कार्यभार की अधिकता तथा कार्यों के समयबद्ध निष्पादन की आवश्यकता को देखते हुए कार्यालय समय के पूर्व एवं पश्चात अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अतिरिक्त समय में कार्य करने पर कर्मचारियों को विश्वविद्यालय द्वारा दिये जाने वाले मानदेय के प्रस्ताव का माननीय सदस्यों द्वारा अनुमोदन किया गया। माननीय सदस्य डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल एवं डॉ. एल.एन. गुप्ता ने सुझाव दिया कि मानदेय की दरों का वस्तुनिष्ठ निर्धारण करने के लिए वित्त नियंत्रक महोदय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाना चाहिए जिसके द्वारा मानदेय/पारिश्रमिक /ओ.टी.ए. के रूप में भुगतान की दरें विश्वविद्यालय की परीक्षा मद में होने वाली आय को मध्यनजर रखते निर्धारित की जाएं। माननीय सदस्य डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल ने यह भी सुझाव दिया कि किसी अधिकारी/कर्मचारी से कार्य में गलती हो जाने पर उसके लिए कटौती का भी प्रावधान होना चाहिए। माननीय सदस्य डॉ. आर.जी. भूतड़ा ने उत्तरपुस्तिकाओं के परीक्षण हेतु विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में नियुक्त समन्वयकों को भी विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार से बाहर नियुक्त समन्वयकों को दिये जाने वाले मानदेय के बराबर किये जाने का अनुरोध किया। माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस पर विचार करने का आश्वासन दिया। प्रमुख शासन सचिव, वित्त के प्रतिनिधि ने इस एजेण्डा आइटम के क्रम में लेखा एवं वित्तीय नियमों का पालना किये जाने का सुझाव दिया।

10. बीवि/बोम-6/2007/57 : विश्वविद्यालय के वर्ष 2005-06 के लेखों की सी.ए. ऑडिट रिपोर्ट, वर्ष 2006-07 का वास्तविक आय-व्यय तथा वर्ष 2007-08 के बजट अनुमानों का अनुमोदन :-
- विश्वविद्यालय के वर्ष 2005-06 के लेखों की सी.ए. ऑडिट रिपोर्ट, वर्ष 2006-07 के वास्तविक आय-व्यय तथा वर्ष 2007-08 के बजट अनुमान को सदन के पटल पर रखा गया। माननीय सदस्य डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल ने बचत शब्द के स्थान पर आधिक्य शब्द प्रयोग में लेने का सुझाव दिया। चर्चा करने के उपरान्त सभी माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

11. बीवि/बोम-6/2007/58 : बीकानेर विश्वविद्यालय में स्वविवेकाधीन कोष (Discretionary Fund) एवं वृत्तिदान कोष (Endowment Fund) की स्थापना के सम्बन्ध में :- बीकानेर विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकृत महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के वित्तीय नियमों के नियम 238-241 के प्रावधानों के अनुसार स्वविवेकाधीन कोष (Discretionary Fund) तथा नियम 243 के प्रावधानों के अनुसार वृत्तिदान कोष (Endowment Fund) स्थापित किये जाने तथा स्वविवेकाधीन कोष का उपयोग कुलपति महोदय के स्वविवेक से किये जाने के प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त सहमति व्यक्त करते हुए सदस्यों द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

12. बीवि/बोम-6/2007/59 : शोध नियमों में आंशिक परिवर्तन का अनुमोदन :- माननीय सदस्य डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल ने सुझाव दिया कि निजी शिक्षण संस्थाओं के साथ-साथ शोध संस्थाओं से जुड़े शिक्षकों को भी शोध निर्देशक के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। श्री के.एल. जैन ने सुझाव दिया कि पूरे राजस्थान से अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों को शामिल किया जाना चाहिए। संशोधन को स्वीकार कर अनुमोदन किया गया। अन्तर्विषयक शोध के संदर्भ में शोधार्थी को उसके शोध विषय में उपाधी प्रदान करने का अनुमोदन किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा विश्वविद्यालय में पुस्तकालय हेतु अलग से बजट निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा, जो माननीय सदस्यों से सर्वसम्मति से अनुमोदन किया।

15

13. बीवि/बोम-6/2007/60 : विश्वविद्यालय में रिक्त पदों को तदर्थ पदोन्नति से भरे जाने का प्रस्ताव :- बीकानेर विश्वविद्यालय में कार्यरत अशैक्षणिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों की स्थिति का विवरण प्रस्तुत किये जाने पर माननीय सदस्यों द्वारा इस आशय की सहमति प्रकट की गई कि विश्वविद्यालय में अधिकारियों/कर्मचारियों की भारी कमी है। प्रस्तावित पदों के सृजन के लिए बजट में प्रावधान रखे जाने तथा राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त किये जाने के प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। विचार-विमर्श के दौरान यह निर्णय लिया कि राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर को समायोजन योग्य सरप्लस कार्मिक उपलब्ध कराने के लिए पुनः लिखा जाये तथा महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर द्वारा ऐसे कार्मिक उपलब्ध नहीं करवाये जाने की स्थिति में राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त कर राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार आगामी कार्यवाही की जावे। विश्वविद्यालय में अशैक्षणिक अधिकारियों व कार्मिकों की भारी कमी की स्थिति के सम्बन्ध में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कराने के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने प्रबन्ध मण्डल के सदस्य दोनो माननीय विधायकों का सहयोग लेने का भी सुझाव दिया।

14. बीवि/बोम-6/2007/61 : बीकानेर विश्वविद्यालय के नियम/परिनियम/लेखा नियम/अध्यादेश आदि बनाने हेतु निविदा आमंत्रित कर विशेषज्ञों की सेवाएँ लिये जाने का प्रस्ताव :- प्रस्तुत प्रस्ताव पर माननीय सदस्य डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल ने सुझाव दिया कि निविदा आमंत्रित करने के बजाय इस कार्य के लिए शिक्षाविदों एवं विशेषज्ञों की एक समिति बनाकर सेवाएँ ली जावे। माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को अवगत कराया कि राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा अपने नियम/परिनियम बनाने का कार्य निविदा के माध्यम से सम्पन्न कराया गया है। अतः इस विश्वविद्यालय के नियम/उप नियम बनाने हेतु भी निविदा आमंत्रित की जावे, जिसका माननीय सदस्यों ने अनुमोदन किया।

15. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव

टेबल एजेण्डा आइटम

(i) बीवि/बोम-6/2007/62(i) : श्री बजरंग लाल, परीक्षा नियंत्रक की ड्यूटी पर यात्रा करते हुए गम्भीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त होने पर उपचार हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव :- प्रस्तुत प्रस्ताव पर माननीय सदस्यों ने सहानुभूति पूर्वक चर्चा कर मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए श्री बजरंग लाल, परीक्षा नियंत्रक को समुचित मात्रा में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किये जाने का प्रस्ताव पारित किया। माननीय सदस्य डॉ. बी.पी. सारस्वत ने सदन को अवगत कराया कि श्री बजरंग लाल की इस विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक के पद पर नियुक्ति के समय नियुक्ति पत्र में परीवीक्षाकाल की अवधि त्रुटिवश दो वर्ष अंकित है जबकि नियमानुसार दूसरे विश्वविद्यालय/संस्थान की सेवा से आने वाले अधिकारी के लिए परीवीक्षा काल की अवधि एक वर्ष निर्धारित है। डॉ. सारस्वत ने एक वर्ष की परीवीक्षा अवधि पूर्ण होने की तिथि से श्री बजरंग लाल की सेवाओं को परीक्षा नियंत्रक के पद पर स्थाई(Confirm) करने का सुझाव दिया जिसका सभी सदस्यों ने अनुमोदन किया।

(ii) बीवि/बोम-6/2007/62(ii) : सत्र 2008-09 से स्नातक प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष (विधि संकाय को छोड़कर) में पूरक परीक्षाओं को समाप्त करने हेतु प्रस्ताव :- प्रस्तुत प्रस्ताव पर माननीय सदस्यों ने चर्चा कर स्नातक प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष (विधि संकाय को छोड़कर) के एक विषय में अनुतीर्ण प्रश्न पत्रों हेतु ली जाने वाली पूरक परीक्षा के स्थान पर राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के अध्यादेश 193-B-I के अनुसार अगली उच्च क्रक्षा की मुख्य परीक्षा के साथ बकाया (Due) प्रश्न पत्र के रूप में परीक्षा लेने के प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।



(iii) उपाधि वितरण के सम्बन्ध में प्रस्ताव :- माननीय कुलपति महोदय द्वारा बैठक में सदस्यों को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा छपवाई गई डिग्रियों में रही त्रुटियों की जाँच करने के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर गठित जाँच समिति की रिपोर्ट अभी अपेक्षित है। विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा 2004 से 2006 तक उत्तीर्ण घोषित किये गये विद्यार्थियों को उपाधियों का वितरण किया जाना काफी समय से लम्बित है। प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों को मुद्रित उपाधियों का अवलोकन करवाते हुए यह राय आमंत्रित की गई कि इन्हीं उपाधियों में यथा स्थान संशोधन कर वितरित करवा दी जाये अथवा नवीन उपाधियों का मुद्रण करवाया जाए। पूर्व में मुद्रित उपाधियों में त्रुटियों को ध्यान में रखते हुए सदस्यों ने उपाधियों की जाँच हेतु समिति के गठन एवं इसमें प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों को सम्मिलित किये जाने का सुझाव दिया। प्रस्तावित जाँच कमेटी में माननीय सदस्य डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल को अध्यक्ष एवं डॉ. बी.पी. सारस्वत को सहअध्यक्ष रखे जाने एवं अन्य सदस्यों का मनोनयन कुलपति महोदय द्वारा करने का निर्णय लिया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा राजभवन से प्राप्त निर्देशों के अनुसार दीक्षान्त समारोह आयोजित करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में सदस्यों को अवगत कराया गया, जिस पर प्रबन्ध मण्डल द्वारा यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा नई उपाधी मुद्रित करवाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जावे। साथ ही माननीय सदस्य डॉ. बी.पी. सारस्वत ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय के उप कुलसचिव, सहायक कुलसचिव एवं अन्य अधिकारी महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर जाकर इस प्रक्रिया के बारे में अध्ययन कर पूरी जानकारी प्राप्त करें एवं प्राप्त जानकारी के आधार पर ही नई उपाधी मुद्रित करवाई जावें। इस सुझाव का सभी सदस्यों ने अनुमोदन किया।

(iv) कुलपति निवास पर फर्नीचर एवं अन्य सुविधाएँ उपलब्ध करवाने हेतु प्रस्ताव :- कुलपति निवास पर परीक्षा परिणाम एवं गोपनीय शाखा का कार्य सम्पादित किये जाने के कारण निवास में फर्नीचर एवं अन्य सुविधाओं उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। माननीय सदस्यों द्वारा इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

(v) माननीय कुलपति जी के लिए वाहन क्रय करने का प्रस्ताव :- कुलपति महोदय के लिए नया वाहन क्रय किये जाने के प्रस्ताव का भी बैठक में प्रस्तुत किया गया जिसका माननीय सदस्यों द्वारा अनुमोदन किया गया।

अन्त में अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।


कुलसचिव